न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.– 45 /2024

1. अमरसिंह पुत्र रामप्रताप जाति माली साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति माली साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. प्रभुदयाल पुत्र रामप्रताप जाति माली साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. सरस्वती पत्नी पुत्र रामप्रताप जाति माली साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 08.02.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा नं. 336 तादादी 7.9284 हेक्ट. है। जिसमें प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम परतुराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम रामप्रताप सही हैं। प्रार्थीगण 1 ता 4 के आधार कार्ड, मूल निवास, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम रामप्रताप है, जो कि सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा नं. 336 तादादी 7.9284 हेक्ट. में प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम रामप्रताप किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवार हल्का साहवा कि रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहते है। अब अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम परतुराम अंकित की जगह रामप्रताप करवाने चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम परतुराम अंकित है। अतः प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम परतुराम अंकित की जगह रामप्रताप दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि पटवार हल्का साहवा कि रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा नं. 336 तादादी 7.9284 हेक्ट. की जमाबन्दी में प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता व प्रार्थीगण 4 के पति का नाम **परतुराम** के स्थान पर **रामप्रताप** दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान कियें जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)